भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1098**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**अपंजीकृत एम.एल.एम. कंपनियों की गतिविधियां**

**1098. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:**

 **श्रीमती गुन्डु सुधारानीः**

 **श्री ए.ए. जिन्नाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि हजारों अपंजीकृत मल्टी लेवल मार्किटिंग (एम.एल.एम.) फर्में विभिन्न वित्तीय और अन्य योजनाओं के द्वारा लोगों को ठग रही हैं; और
2. यदि हां. तो क्या मंत्रालय ने कोई अभियान चलाया है या भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसी फर्मों को बंद करने के लिए कहा है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) और (ख):** इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, बहुस्तरीय विपणन स्कीमें चलाने वाली कंपनियां ईनामी चिट एवं धनराशि परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 का उल्लंघन करते हुए ऐसा कर रही हैं अथवा अनधिकृत ‘सामूहिक निवेश योजनाएं’ चलाकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 की धारा 11कक का उल्लंघन कर रही हैं। उनमें से संभवतः कोई भी कंपनी नॉन बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत नहीं है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की पहचान करके उन्हें समाप्त करने के अभियान के एक भाग के रूप में वित्तीय व्यापार के उद्देश्य से चल रही लगभग 34000 कंपनियों के ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कंपनियों का सत्यापन शुरू कर दिया है।

\*\*\*\*\*